भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 भारत TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

11AA 853550

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

प्ररूप–26

(नियम4क देखिए)

18–धर्मपुर निवार्चन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ –पत्र

मैं दिनेश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री रतीराम अग्रवाल आयु 62 वर्ष जो 22 ओगल भट्टा टर्नर रोड़, देहरादून का निवासी हूँ और उपरोक्त निवार्चन में अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ:–

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नही हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है।

आरोप तय नही बाकी विवरण दूसरे शपथ पत्र में दिया गया है।

NOTARY (INDIA) SUNIL KUMAR Advocate Dehra Dun District Regd. No. 40(01)/2004 GOVT. OF UTTARAKHAND

19 DEC 2011

(यदि अभिसाक्षी) ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/कि अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :–

आरोप तय नही जिसका पूर्ण वितरण संलग्न शपथ मैं दिया गया है।

मामला /प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याऐं **(1)** अपराध संख्या 8/2007 **(2)** अपराधा संख्या 210/2009

(i) पुलिस थाना (1) **क्लेमेन्टाउन (2) नहेरू कालोनी** जिला देहरादून राज्य उत्तराखण्ड

(ii) सम्बन्धित (अधिनियम) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) अभ्यर्थी आरोपित किया गया है **(1)** फौजदारी वाद संख्या 2548/2007 स्पेशल जे.एम. द्वितीय अन्तर्गत धारा 467,468,471,420,171बी,171सी,171 जी आई.पी.सी.की धारा 123रिपेंजेंटेशन आफ पीपलस एक्ट न्यायालय द्वारा अभी आरोप तय नही है।
(2) मुकदमा अपराध संख्या 210/2009 **थाना नेहरू कालोनी** देहरादून केवल एफ.आई.आर.दर्ज की गई है इसके आगे की किसी भी कार्यवाही की जानकारी अभी तक शपथकर्ता को नही है अन्तर्गत धारा 147, 149,332,353, 336,504, आई.पी.सी.

(iii) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विवेचना की गई– कोई जानकारी प्राप्त नही है।

(iv) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किये गए थे– कोई जानकारी प्राप्त नही है।

(v) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है फौजदारी वाद संख्या 2548/2007 में अग्रिम कार्यवाही मा. हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2007 रिट पेटिशियन न. 885/2007 के द्वारा स्थगित है।

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व 1951 (1951का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नही ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नही किया गया है।

लागू नही

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तु करेगा):

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याऐं – लागू नही

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है.....

(iii) पुलिस थाना (थाने).....जिला (जिले).....राज्य.....

(iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं)और उस उपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए है.....

.....

स्थान :– देहरादून

तारीखः– 11/01/2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नही है और कोई तात्विक बात छिपायी नही गई है।

देहरादून स्थान पर आज तारीख **11.01.2012** को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

NOTARY ★ (INDIA) SUNIL KUMAR Advocate Dehra Dun District R. No. 40(01)2004 GOVT OF UTTARAKHAND

टिप्पणी :– इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नही है, काट दिया जाए।

This affidavit is sworn before me by Shri Dinesh Agarwal who is identified by Shri R. K. Verma at Dehradun on 11/1/12

SUNIL KUMAR
Advocate & NOTARY Dehradun